

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-अजमेर/एफ.19325/2023/669 दिनांक : 11-09-23

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर
दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.
2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री मुरली मनोहर, वरिष्ठ सहायक, खण्ड
मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुचामन सिटी नागौर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति
तिथि 22.03.1996 है को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 22.03.2023 से पे
मेट्रिक्स के लेवल-11 में एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा
पृथक से किया जावेगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-अजमेर/एफ.19325/2023/669 दिनांक : 11-09-23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुचामन सिटी नागौर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री मुरली मनोहर, वरिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation : Director
Date : 07-09-2023 06:47:52